कोटेशन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आधार पंजीकरण एवं संसोधन कार्य के लिए आधार कार्ड म ीन हेतु कोटेशन दिनांक 16.10.2024 से 22.10.2024 को अपराह्न 5:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं, जो इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले कोटशनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। दिनांक 23.10.2024 को 11:00 बजे जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर के कार्यालय कक्ष में खोले जायेंगे। अधोहस्ताक्षरी को कोटशन स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। उपरोक्त के संबंध में कोटेशन शर्ते विभाग की वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/ पर प्रकशित है तथा अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्राप्तः 10.00 से सायं 05:00 बजे तक कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

(अमन अनिरूद्ध)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

कार्यालयः जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर
विकास भवन, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

पत्रांक 1214/स0/कोटेशन/2024–25 दिनांक 15 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचना हेतु सूचना पट पर चस्पा हेतु प्रेषित–

1) जिलाधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
2) विकास भवन के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
3) संवादाता अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान,ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित सम्मानित समाचार पत्र मे न्यूनतम स्थान व न्यूनतम शासकीय दरों पर प्रकशित करने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

कोटेशन शर्ते

1. कोटशन सम्बन्धी समस्त प्रपत्र साफ त्रुटिरहित एवं पठनीय लेख में भरे जाने चाहिए, कटिंग/ओवरराइटिंग मान्य नहीं है।
2. संस्था/फर्मो या प्रबन्धक को आधार पजीकरण एंव संशोधन कार्य का अनुभव होना अनिवार्य हैं।
3. संस्था/फर्मो जनपद अन्तर्गत कार्य करने वाले आपरेटरों की सूची जिला कार्यालय का उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था/फर्मो से किसी भी विवाद की स्थिति में जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर का निर्णय सर्वमान्य होगा तथा फर्म द्वारा किसी प्रकार के विवाद का निस्तारण का क्षेत्राधिकार जनपद ऊधमसिंह नगर का होगा।
5. चयनित फर्म/संस्था प्रत्येक 07 दिवस में नियमानुसार, अनुमोदित आधार के कार्यो की दरों के अनुरूप निर्धारित शुल्क जिला समाज कल्याण विभाग के विभागीय खाते में जमा करेंगी।
6. नोडल अधिकारी द्वारा लेन–देन के सत्यापन के उपरान्त चयनित संस्था/फर्म या संस्था प्रबन्धक को आई0टी0 उत्तराखण्ड के दिशा–निदेशानुसार, प्रति आधार, नया नामांकन और अद्यतन शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
7. एजेन्सी/फर्म श्रम कानूनों के तहत यथाविधि सुसंगत प्राविधानों के अनुसार विधि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नियमों के आधार पर तैनात ऑपरेटर को मासिक मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान करेंगी (न्यूनतम मजदूरी नियमों के अनुसार) तथा संबंधित फर्म इन–हाउस मॉडल के अन्तर्गत कार्य करेगी।
8. संस्था/फर्म का ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0 विभाग में पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा।
9. आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्य के सम्बन्ध में कोई भी ऑपरेटर अधिशुल्क एवं अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप ऑपरेटर को तत्काल प्रभाव से हटाया जायेगा।
10. यदि किसी भी कारण से संस्था/फर्म का कोई भी ऑपरेटर कर्मचारी ड्यूटी से छुटी या अनुपस्थित रहता है, संस्था/फर्म तत्काल अन्य ऑपरेटर की व्यवस्था करेगा।
11. संस्था/फर्म को आधार केन्द्र की स्थापना हेतु विभाग द्वारा प्रथ्क से सूचित किया जाऐगा, तथा संस्था/फर्म द्वारा आवेदकों के लिए केन्द्र के बाहर यू0आई0डी0ए0आई0 की स्पष्ट अनुमोदित दरों का उल्लेख करते हुये आधार फ्लेक्स बोर्ड भी लगाएगी।
12. समाज कल्याण विभाग द्वारा ऑपरेटर के हिस्से के अलावा संस्था/फर्म या संस्था प्रबन्धक को कोई भी अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
13. आधार किट/हार्डवेयर कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिाकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा प्रदान किया जाएगा। एजेन्सी/फर्म को कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिाकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा उपलब्ध करवाये गये हार्डवेयर का आधार नामांकन और अद्यतन कार्य के लिए उपयोग करेगी। उक्त एजेन्सी/फर्म अपने हार्डवेयर का प्रयोग नहीं करेगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

14. संस्था/फर्म आधार केन्द्र की स्थापना उक्त सरकारी कार्यालय में ही करेगी, जो किसी भी दशा में अन्य स्थल पर प्रत्यावर्तित नहीं की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी महोदय, ऊधमसिंह नगर की संस्तुति के उपरान्त आधार केन्द्रों के स्थल में परिवर्तन किया जा सकता है।
15. संस्था/फर्म द्वारा आधार ऑपरेटर का पुलिस सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य होगा। ऑपरेटर को फर्म द्वारा पहचान पत्र दिए जाऐंगे।
16. संस्था/फर्मो द्वारा उपलब्ध ऑपरेटर उक्त संस्था के कर्मचारी ही बने रहेंगे और किसी भी विवाद के लिए उत्तरदयी होगी, जिसमें किसी भी प्रकार कानूनी हस्तक्षेप हेतु उक्त संस्था ही जिम्मेदार होगी।
17. आधार नामांकन और अद्यतन कार्य में उपयोगी होने वाली स्टेशनरी का व्यय, आधार एजेन्सी/फर्म द्वारा स्वंय वहन किया जाएगा।
18. सफल निविदादाता को अपने ऑपरेटर को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के 11 माह की धनराशि के बराबर कार्यपूर्ती प्रतिभुति (धरोहर) धनराशि के रूप में कार्यादेश प्राप्त होने के पॉच दिन के अन्दर एफ0डी0आर अथवा एन0एस0सी0 जो कि ''जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर'' के नाम से बन्धक हो, उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि सफल निविदादाता 05 दिन के अंदर उक्त धरोहर धनराशि उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो सम्बन्धित निविदादाता का दावा अमान्य करते हुए निरस्त किया जायेगा तथा दूसरे सफल निविदादाता (L2) को कार्यादेश जारी करने पर विचार किया जायेगा।
19. चयनित सेवा प्रदाता का तीन साल का अनुबन्ध पत्र नोटरी (100रू0 मात्र) के रूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। शर्त/अनुबन्ध का उल्लंघन करने पर समय अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है। फर्म द्वारा किये गये कार्य से सन्तुष्ट होने पर कार्य बढाया भी जा सकता है।
20. कार्यपूर्ण होने उपरान्त संस्था/फर्म को उपलब्ध करवाये गये हार्डवेयर को यथास्थिति कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को प्रत्यावर्तित किया जायेगा। हार्डवेयर में किसी प्रकार की क्षति होने पर एजेन्सी/फर्म के बैंक धरोहर धनराशि से प्रतिपूर्ति की जायेगी।
21. समिति द्वारा प्रत्येक तीन माह मे उक्त संस्था/फर्म के कार्यो का आंकलन किया जायेगा। आंकलन उपरान्त यदि आवश्यक हो तो समिति उक्त नियम/शर्तो में संशेधन करेगी, जो एजेन्सी/फर्म को मान्य होगा तथा जिसमें संस्था/फर्म को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
22. यदि संस्था/फर्म द्वारा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो संस्था/फर्म द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर को एक माह पूर्व लिखित में अवगत कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि संस्था/फर्म उक्त कार्य अवधि के दौरान जान बूझकर कोई विलम्ब करती अथवा कार्य में असमर्थता व्यक्त करती है तो यथास्थिति सुनवाई उपरान्त गुणावगुण के आधार पर बैंक जमा धरोहर धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

23. किसी भी कोटेशन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार गठित समिति को होगा।
24. संस्था/फर्म का उत्तराखण्ड में जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
25. विवाद होने की स्थिति में जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर का निर्णय अंतिम होगा, जिसे किसी भी न्यायालय में वाद के लिये चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
26. कोटेशन खोलने की तिथि में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन किए जाने की स्थिति में गठित समिति को सूचना के आधार पर नियत तिथि को निविदा खोली जायेगी। जिस हेतु कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
27. कोटेशन खोलने के उपरान्त, ऑपरेटर को बेहतर पारिश्रामिक देने वाली फर्म/संस्था को उक्त कार्य दिया जाऐगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर